न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/120/2024	2024/297	31.12.2024	07.04.2025

1. रामसिंह पुत्र मिट्ठन लाल जाति जाट निवासी ग्राम मोकलहेडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. मथुरा पुत्र भौरया जाति जाट निवासी ग्राम मोकलहेडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।
2. उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

— अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितः—
01—श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता —वकील प्रार्थी
02—श्री कमल सिंह पोसवाल —वकील अप्रार्थीगण

—:निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के प्रकरण बउनवान मथुरा बनाम रामसिंह को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया, जिसमें विगत तारीख पेशी 07.01.2025 नियत थी। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मुंतकिल प्रार्थना—पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ जिला अलवर के विरुद्ध न्याय की आशा नहीं होने के कारण प्रस्तुत किया है। उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ अप्रार्थी मथुरा पुत्र भौरया से साज—बाज होकर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना ना करते हुए अप्रार्थी मथुरा को लाभ पहुंचाने की गरज से उक्त अनुवानी प्रकरण में नजदीक नजदीक तारीख पेशी दी जा रही है। जिसका ब्यौरा इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 26/11/2024 को 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है जिसमें दिनांक 11/12/2024 की पेशी नियत की गई। इसके पश्चात दिनांक 17/12/2024 की पेशी नियत की गई और उसके पश्चात 23/12/2024 की पेशी नियत की गई। तदोपरान्त दिनांक 24/12/2024 को अप्रार्थी रामसिंह की तामील भी नही हुई और आदेशिका में यह दर्ज कर दिया गया कि तामील वापिस लौट कर आई है, जबकि तामील लौटी राजस्व रिर्काड व मौके की नहीं थी और टीडीआर लक्ष्मण से रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर दिनांक 07/01/2025 की पेशी नियत कर दी गई जब मिन प्रार्थी रामसिंह की तामील भी नहीं हुई थी। इस प्रकार पीठासीन अधिकारी लक्ष्मणगढ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत कार्य कर रहे है और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए ही प्रकरण का फैसला व प्रार्थी पर तामील हुए बिना ही केस का निस्तारण करने की जुस्तजू में लगे हुए है कि जिस तरीके से मथुरा पुत्र भौरया को लाभ दिया जा सके। कानून का यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि न्याय दिखने में लगे कि पक्षकार को न्याय मिल रहा है लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में जल्दी—जल्दी की तारीख पेशी देकर मथुरा पुत्र भोरया को फायदा देने की जुस्तजू में लगे हुए है जो कि न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

पीठासीन अधिकारी के मिलने वाले खेमचन्द पुत्र खिल्लू जाट निवासी मानोता तहसील नगर जिला डीग राज० व तिलकराज पुत्र बाबूलाल जाट निवासी मानोता तहसील

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

नगर जिला डीग राज० बैठे रहते है जो कि पीठासीन अधिकारी के बहुत ही नजदीकी व्यक्ति है और मथुरा प्रसाद के रिश्तेदार है। मथुरा प्रसाद की पौत्री खेमचन्द के बेटे भुवनेश के साथ शादी हुई है, इस कारण वह मथुरा खेमचन्द का समधी है। उक्त दोनो व्यक्तियों द्वारा दिनांक 24/12/2024 को रत्तीराम पुत्र रामसिंह जाति बलाई व रामसिंह पुत्र मंगतूराम जाट निवासी निभेडा के सामने यह कहा कि पीठासीन अधिकारी हमारे नजदीकी है और मथुरा प्रसाद के हक में आदेश पारित होकर रहेगा, पीठासीन अधिकारी हमारा निजी मिलने वाला है। इस कारण प्रार्थी रामसिंह को पीठासीन अधिकारी लक्ष्मणगढ से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है इसलिए उक्त प्रकरण को कहीं भी किसी उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में मुंतकिल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। शीघ्र नजदीकी तारीख पेशी के सम्बन्ध में आदेशिका की नकल वास्ते अवलोकनार्थ प्रस्तुत की हुई है। अप्रार्थी द्वारा जो जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें कहीं भी अंकित नही किया है कि उक्त प्रकरण को कहीं भी मुंतकिल कर दिया जावे तो हमें कोई आपत्ति नही है इससे भी यह साबित होता है कि अप्रार्थी मथुरा को अपने पक्ष में उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ से फैसले की उम्मीद लगी हुई है और उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा बिना प्रक्रिया को पूर्ण किए ही निर्णय पारित करने की जुस्तजू में है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुए उक्त प्रकरण मथुरा बनाम रामसिंह मुकदमा संख्या 6/4 दायरा दिनांक 26/11/2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ बअनुवान मथुरा पुत्र भोरया प्रार्थी बनाम रामसिंह पुत्र मिट्ठन अप्रार्थी को किसी अन्य उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे ।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने लिखित जवाब/बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा नहीं अपितु मिन अप्रार्थी मथुरा ने तहत न्यायालय में अंतर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया हुआ है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य माननीय न्यायालय के विचारण योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों को असंगत रूप से दर्ज किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में सामान्य तौर पर तारीख पेशी नियत होती रही है। प्रकरण में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की जा रही है। प्रार्थी की मंशा प्रकरण को लम्बा करने की है। अप्रार्थी को मुकदमे की बखूबी जानकारी है तथा जानबूझकर तामील से गुरेज करता रहा है। तहत न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तहत न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय के चेम्बर में खेमसिंह पुत्र खिल्लू जाट निवासी मानोता व तिलकराज पुत्र बाबुलाल जाट निवासी मानोता कभी नहीं गये न उनका कोई लेना–देना किसी तरह से है।यह अंकित नहीं किया है कि प्रार्थी ने किस तारीख को उक्त लोगों को पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में आते जाते व बैठे हुए देखा जिससे स्पष्ट है कि कुल कहानी मनघढन्त रूप से दर्ज की गई है जो कि न्यायालय की अवमानना की संज्ञा में आता है। उक्त दोनों व्यक्तियों की पीठासीन अधिकारी से कैसे क्या रिश्तेदारी है, यह भी स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है। उक्त लोगों के द्वारा प्रार्थी से यह कहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है कि उपखण्ड अधिकारी उनके रिश्तेदार हैं और वो उनके कहे अनुसार मिन अप्रार्थी मथुरा के पक्ष में फैसला करेंगे। दिनांक 24–12–2024 की कहानी भी मनगढन्त व झूठी दर्ज की गई है। उक्त दोनों व्यक्तियों ने उक्त तारीख को रतिराम पुत्र मानसिंह व रामप्रसाद पुत्र मंगतूराम के सामने क्या कहा स्पष्ट अंकित नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपनी किसी चेहती न्यायालय में प्रकरण को मुन्तकिल कराना चाहता है। जबकि प्रार्थना पत्र को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किए जाने का कोई कारण एवं आधार नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थी निराधार सन्देह के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं करा सकता है। तहत न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया अनुसार ही

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी केवल मुकदमे को लम्बा करना चाहता है और प्रकरण का फैसला नहीं होने देना चाहता है।

प्रार्थी ने दुर्भावना पूर्वक यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके पीछे प्रार्थी की मंशा केवल मात्र तहत न्यायालय में लंबित मुकदमे में विलंब करना है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र नितांत झूठे व निराधार तथ्यों के साथ पेश किया गया है। प्रार्थी तहत न्यायालय में लंबित मुकदमे का फैसला नहीं होने देना चाहता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय विशेष हर्जा खारिज किया जावे तथा प्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही अमल में लाई जावे। आपकी अति कृपा होगी।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि बिंदु सख्या 1 स्वीकार है, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क आर0टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। बिन्दु सं. 2 स्वीकार है, उक्त विचाराधीन प्रकरण में तामील नहीं हुई है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ली जानी है तथा प्रतिवादी की तलवी शेष है, शेष तथ्य गलत है। बिंदु सं. 3 अस्वीकार है, तथ्य गलत व बेबुनियाद एवं मनगढंत हैं। बिन्दु 4 अस्वीकार है, गलत तथ्यों पर प्रा0पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दु सं. 6 अस्वीकार है। प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। बिंदु सं. 6 व 7 कानूनी हैं। यदि उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है, तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान